

617-20
6/3/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No. _____ / of 2012

Manorma Devi

.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others

..... Respondents

Sub: EC ACT

I N D E X

Sl.No	Annexure	Particulars	Pages
1.		An application under article 226 of the constitution of India	
2.	Annexure-1	True copy of the relevant letter dated 15.3.2007	14-15
3.	Annexure-2	True copy of the relevant letter no 96 dated 24.4.2007	16
4.	Annexure-3	True copy of the relevant representation dated 8.5.2007	17-19
5.	Annexure 4	True copy of the relevant order dated 26.4.2007	20
6.	Annexure-5	True copy of the relevant letter dated 8.6.2007	21-24
7.	Annexure 6	True copy of the relevant show	25-26

		cause explanation	dated
8.	Annexure-7	True copy of the relevant order contained in memo no 315 dated 1.10.2007	27-30
9.	Annexure-8	True copy of the relevant order contained in memo no 696 dated 26.11.2011	31
10.	Annexure-9	True copy of the relevant letter dated 28.4.2008	32
11.		VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No. _____ / of 2012

Manorma Devi

..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others

..... Respondents

SYNOPSIS

That by this writ petition the petitioner seeks following reliefs:-

- (i) For quashing the order contained in memo no315 dated 1.10.2007 issued under the signature of respondent Sub Divisional Officer Udakishunganj by which the license of the petitioner has been cancelled.
- (ii) For declaration that the impugned order date 1.10.2007 has been passed without application of mind.
- (iii) For quashing the order contained in memo no 696 dated 26.11.2011 issued under the signature of respondent District Magistrate

Madhepura by which the appeal preferred by the petitioner has been rejected without application of mind.

- (iv) For direction upon the respondent authorities to restore the license of the petitioner forthwith in the facts and circumstances of the case.
- (v) Any other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case be granted to the petitioner.

That the petitioner is a P.D.S. dealer in the district of Madhepura and since 2001 having license No. 22/01 and there is no complaint since beginning.

15.3.2007

That pursuant to the local complaint the respondent District Supply Officer issued letter to the Sub Divisional Officer Madhepura on the subject of suspension and thereafter cancellation of the license stated therein that after spot verification it was found that the petitioner has not distributed the food grains as well as the K Oil among the

beneficiaries and less quantity of distribution was made by the petitioner as the same shall appear from the statement of the beneficiaries.

24.4.2007 That vide letter no 96 dated 24.4.2007 issued under the signature of respondent Sub divisional Officer by which the petitioner was directed to file show cause as to why and under what circumstances the draft was not prepared for lifting the food grains failing which the license of the petitioner would be cancelled.

8.5.2007 That on 8.5.2007 the petitioner filed show cause that he has already prepared the draft for the month of April 2007 and hence the allegation against the petitioner is baseless.

26.4.2007 The license of the petitioner was suspended

8.6.2007 That on 8.6.2007 the Supply Inspector Gawalpada submitted the inspection report to the respondent Sub Divisional Officer in reference to the letter dated 26.4.2007 and 17.5.2007 of the Sub divisional Officer and further recommended for revocation of the suspension.

9.7.2007. That on 9.7.2007 the petitioner filed detailed show cause with a prayer for exoneration of all the charges leveled against the petitioner.

1.01.2007 The license of the petitioner was cancelled

26.11.2011. The appeal was rejected

24.8.2007 That vide letter no 133 dated 28.4.2008 the respondent Sub Divisional Officer issued letter to the in charge Officer Legal Madhepura enclosing the copy of the inspection report of the supply officer for onwards action.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.JC. No. _____ / of 2012

In the matter of an application
under Article 226 of the
Constitution of India.

A N D

In the matter of;

Manorma Devi wife of Sri Sanjay Kumar resident of village Sarauni
Block Gwalpada District Madhepura

.....Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.
2. The Commissioner Saharsha.
3. The District Magistrate Madhepura.
4. The District Supply Officer Madhepura.
5. The Sub Divisional Officer Udakishunganj Madhepura.

..... Respondents:

To,

The Hon'ble Justice Ms Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth:

1. That by this writ petition the petitioner seeks following reliefs:-

- (i) For quashing the order contained in memo no315 dated 1.10.2007 issued under the signature of respondent Sub Divisional Officer Udakishunganj by which the license of the petitioner has been cancelled.
- (ii) For declaration that the impugned order date 1.10.2007 has been passed without application of mind.
- (iii) For quashing the order contained in memo no 696 dated 26.11.2011 issued under the

signature of respondent District Magistrate Madhepura by which the appeal preferred by the petitioner has been rejected without application of mind.

(iv) For direction upon the respondent authorities to restore the license of the petitioner forthwith in the facts and circumstances of the case.

(v) Any other order or orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case be granted to the petitioner.

2. That the petitioner is a citizen of India and records are lying within the territorial jurisdiction of the said Hon'ble Court.

3. That the petitioner is filing the writ petition on amongst the following

GROUND

I. For that the impugned order is contrary to the provision of Article 14, 19 (1) (g), 21, of the Constitution of India.

II. For that the action of the respondent authorities is arbitrary malafide and not sustainable in the eye of law.

III. For that the action of the respondent authorities is colourable exercise of power.

IV. For that the action of the respondent authorities are without application of mind.

V. For that the complaint made by the local persons are fake and fabricated and the same is not sustainable in the eye of law.

4. That the petitioner is a P.D.S. dealer in the district of Madhepura and since 2001 having license No. 22/01 and there is no complaint since beginning.

5. That pursuant to the local complaint the respondent District Supply Officer issued letter to the Sub Divisional Officer Madhepura on the subject of suspension and thereafter cancellation of the license stated therein that after spot verification it was found that the petitioner has not distributed the food grains as well as the K Oil among the beneficiaries and less quantity of distribution was made by the petitioner as the same shall appear from the statement of the beneficiaries.

True copy of the relevant letter dated 15.3.2007 is annexed herewith and marked as Annexure 1 to this petition.

6. That it is stated that during the period of alleged inspection the petitioner was not heard nor the petitioner was given any opportunity to defend his case and unilateral decision has been taken by the District Supply Officer and recommended the suspension and cancellation of the license without providing any opportunity to the petitioner.

7. That vide letter no 96 dated 24.4.2007 issued under the signature of respondent Sub divisional Officer by which the petitioner was directed to file show cause as to why and under what circumstances the draft was not prepared for lifting the food grains failing which the license of the petitioner would be cancelled.

True copy of the relevant letter no 96 dated 24.4.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-2 to the petition.

8. That on 8.5.2007 the petitioner filed show cause that he has already prepared the draft for the month of April 2007 and hence the allegation against the petitioner is baseless.

True copy of the relevant representation dated 8.5.2007 is annexed herewith and marked as Annexure 3 to the petition.

9. That vide order contained in memo no 106 dated 26.4.2007 issued under the signature of respondent Sub Divisional Officer by which the license of the petitioner was put under suspension.

True copy of the relevant order dated 26.4.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to the petition.

10. That on 8.6.2007 the Supply Inspector Gawalpada submitted the inspection report to the respondent Sub Divisional Officer in reference to the letter dated 26.4.2007 and 17.5.2007 of the Sub divisional Officer and further recommended for revocation of the suspension.

True copy of the relevant letter dated 8.6.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to the petition.

11. That on 9.7.2007 the petitioner filed detailed show cause with a prayer for exoneration of all the charges leveled against the petitioner.

True copy of the relevant show cause explanation dated 9.7.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to the petition.

12. That without perusing the contents of the show cause and without perusing the relevant records of the case vide order contained in memo no 315 dated 1.10.2007 the license of the petitioner was cancelled without application of mind contrary to the principle of natural justice.

True copy of the relevant order contained in memo no 315 dated 1.10.2007 is annexed herewith and

marked as Annexure-7 to the
petition.

13. That from perusal of the impugned order dated 1.10.2007 it appears that after perusal of the representation of the petitioner further inspection was conducted and the petitioner was not given opportunity before issuance of impugned order.

14. That the order of cancellation of license was based on further enquiry dated 30.9.2007 and 1.10.2007 and on 1.10.2007 itself the license of the petitioner was cancelled.

15. That after seeing the order of cancellation of license the petitioner contacted the beneficiaries who has also sworn affidavit that they have never complained about the alleged conduct of the petitioner before any authorities.

16. That the petitioner craves leave to this Hon'ble Court to produce the copy of the relevant affidavits at the time of hearing if required.

17. That the petitioner preferred appeal before the respondent district Magistrate Madhepura vide Appeal no 51/07 which was dismissed vide order contained in memo no 696 dated 26.11.2011.

9

True copy of the relevant order contained in memo no 696 dated 26.11.2011 is annexed herewith and marked as Annexure-8 to the petition.

18. That vide letter no 133 dated 28.4.2008 the respondent Sub Divisional Officer issued letter to the in charge Officer Legal Madhepura enclosing the copy of the inspection report of the supply officer for onwards action.

True copy of the relevant letter dated 28.4.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-9 to the petition.

19. That but unfortunately the appellate court has also not perused the documents in proper way.

20. That there is no provision in Bihar Control Order for keeping the Register reserved for last few years. Likewise no circular or direction has been issued by the Licensing authority.

21. That 768 litres short K Oil was allotted to the petitioner in the month of December 2006 and the same was given to PDS dealer

Amarkant Jha. The rest K Oil was distributed by the petitioner among her own consumers in presence of Supply Inspector and peoples representatives. The units of 765 litres of K Oil was not handed over to Amarkant Jha for distribution, So the allegation against the petitioner is wrong.

22. That the allotment of k oil to the petitioner for the month of Feb 2007 was made late and it was lifted from whole sale dealer on 28.2.2007. It is pertinent to mention here that the license of the other two PDS dealers Arun Paswan and Bhola Sahi was suspended and the allotment of these two dealers were given to the petitioner. It is submitted that the k oil of all the three PDS dealers including the petitioner was distributed among the consumers from 1.3.2007 to 7.3.2007. So it is false to say that the k oil fro the month of Feb was not distributed till 15.3.2007.

23. That it is wrong to say that the petitioner takes the price of k oil at the rate of 12.00 and 12.50 per litre as alleged in the impugned order.

24. That the petitioner is innocent and has not violated the conditions of Bihar Control Order.

25. That the petitioner is running from pillar to post but with no result, hence this writ application before extraordinary jurisdiction of this Hon'ble Court at no point of time ever given any reply to the petitioner and are acting arbitrary without authority of law.

26. That this petition is bonafide and in the interest of justice.

27. That the petitioner shall irreparable loss if this petition is not allowed in favour of the petitioner.

28. That the petitioner has no alternative remedy save and except to revoke the extraordinary jurisdiction before this Hon'ble Court.

29. That the petitioner has not moved earlier regarding this matter before this Hon'ble Court .

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issue Rule NISI calling upon the respondents to file show cause as to why the prayer made in the Paragraph No.1 of the writ application is not allowed in favour of the petitioners and on return of the rule

hearing the parties the same be made
absolute.

And/or

Pass such other order or orders as your
lordships may deem fit and proper and in the
facts and circumstances of the case.

And for this the petitioners shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Manorma Devi age 45 years wife of Sri Sanjay Kumar resident of village Sarauni Block Gwalpada District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows;

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of the writ application have been ready by me and understood the same and they are true to my knowledge and belief.
3. That the statements made in paragraph No 2,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,29 are true to my knowledge, those statements made in paragraph No.4,5 to 12,17,18 are true to my information derived from the records of the case and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true/photo/typed copies of their respective originals.

११/११/२०११
 गतिशुभकर अने दफतरीत
 रेखिनेका को कमिशनर
 कोमिशनर को मिसनर
 R N 2029
 6-3-20.

... विद्युत ... उपभोक्ताओं में ...
... परन्तु ...
...
आपूर्ति निरन्तरता प्राप्त है ...

... 9.1.07 ...

घाँसे परधरी 2007 का किलोलीटर होता है पावन पर्व के पूर्व संध्या पर वितरित नहीं कर आज की तिथि तक रखे, किलोलीटर का मूल्य सामान्य उपभोक्ताओं से 12.00 रुपये प्रति लीटर एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं से 12.50 रु० लीटर की दर से पैसे कटौत करने, तब भी यदि किलोलीटर का किलोलीटर रहने, अन्त्योदय चावल का मूल्य 6.00 रु० प्रति किलो एवं गेहूँ 4.00 रु० प्रति किलो की दर से वितरित करने, किलोलीटर का नाम कम देने, कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को अनर्धारित मात्रा में किलोलीटर मांगने पर वर्तन पेंकने पक्का देकर भगाने, एवं गाली गलौज करने के आरोप में श्री मति मनोरमा देवी ज०घि०प्र०घि०ता ग्राम पंचायत-सरौनीकला की अनुज्ञापित संख्या 22/01 को निलंबित करने एवं उसे वापस करने का आदेश करने का हुकूमत की जाय ।

- अनुलग्नक :-
- 1. आम जनता का बयान
 - 2. कारण पृच्छा
 - 3. कारण पृच्छा का जवाब।

विप्रवातभाजन
15.01.07
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

Handwritten notes in the top right corner, including a date and some illegible text.

अनुसंधान विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

पत्र सं. 95, दिनांक 24/4/07

16

श्री/श्रीमती श्रीमती मनोरमा देवी

जन्म तिथि

ग्राम-पंचायत शरीजी (खानपपुर)

आ.आ. विभाग द्वारा समीक्षा प्रक्रिया के अन्तर्गत आपकी हस्तक्षेप द्वारा दिनांक 20.04.2007 तक माह अप्रैल 2007 के लिए आवंटित की जाने वाली राशि का बैंक द्राप्ट जमा नहीं किया गया है, जबकि मा.के. के अन्तर्गत बैंक द्राप्ट जमा कर देना है। आ.आ. द्वारा बैंक द्राप्ट जमा करने के कारण सरकार द्वारा प्रस्तावित जा रहे कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत आपकी पंजी वारो को नहीं मिल पायेगा।

इस प्रकार आ.आ. द्वारा सार्वजनिक विवरण प्रणाली आवंटन प्रणाली में विहित अनुसंधितधारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया गया है।

अतः आप 24 घंटा के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि ऊपर अंकित कारणों के आधार पर आपकी अनुसंधित क्यों नहीं रहने कर दी जा

24/4/07
अनुसंधान पदाधिकारी,
उत्तरांचल प्रदेश
24/4/07

A. N. H. 3

17

श्रीमान् अनुमोदण पदार्थ महोदय 30/11/07
निवेदन: श्रीमान् नं क्रमांक - 94 दिनांक 24/11/07
द्वारा मांको अरु स्पष्टीकरण के लिये।
प्रदत्त

निवेदन है कि मात. अग्रत. 07-07 में श्री
की 070 एतत् अन्त्योद्य का ड्राफ्ट 005913, 005912
की 070 एतत् का ड्राफ्ट संख्या 005913, 005912
005911 है, तथा अन्त्योद्य का बैंक ड्राफ्ट
संख्या - 028178, 544915 है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध
है कि मुझे आदेश से मुक्त कराने की कृपा
प्रदान की जाय

ए. क. धात्रे
पाया
10
8/5/07

अगस्टिका
मनीरमा देवी
जठ कि प्रठ विवेका
प्रधान - सरांनी
प्रसवण्ड - अकलपाड।

8/5/07

स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लायज कारपोरेशन लि०

भंडार-निर्गमादेश

BF 201752

April 73

(स्टोर ईशु आर्डर)

पत्र संख्या.....

प्रदाताक कोदाम प्रबन्धक (नाम से) क रखने वाले

M. J. ...

B. S. G. ...

की ब्यादेशी सं० ... तारीख 11.4.07

नीचे हर सामग्री के सामने जितनी-जितनी मात्रा दिखाई गयी है उतनी श्री

M. J. ...

को कृपया दे दें। उन्होंने इन चीजों की कीमत निम्न प्रकार से देना कर दी है-

सं०	व्याप्त सं०/ताजागत राशि सं०	दिनांक	बैंक का नाम	कुल रुपया
1	205913 dt	11.4.07	(B.S.) Postbwz	Rs. 3634.49
2	525912 dt	"	"	Rs. 4088.49
3	525911 dt	"	"	Rs. 5971.49
				<u>9493.47</u>

26 + 12 + 20

वस्तु	वोरो की संख्या	शुद्ध तौल (वोरो का वजन छोड़कर)	दर	वैभत
	2	3		5
1) चावल				
2) गेहूँ				
3) चीनी				
4) ...				
5) ...				
6) ...				
7) ...				

B.P.L. 4 Reqt 22.00.000 (T...)

(Rs. ...)

11.4.07

प्रमाणित किया जाता है कि ब्यादेशी (इण्डेण्टर) के सामग्रियों का पूरा मूल्य उपरोक्तलिखित रुपया जमा कर दिया। मैंने उन्हें देखा और विरूपित किया है।

[Signature]

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
तारीख200

प्रदाता प्रबन्धक
प्रदाताक लेखा पदाधिकारी

भारत सरकार का शापट लडाभा ७७
 फिरोजी कृषि आरंभ अनु ७५१० लडाभा
 खरत

भारत स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड

April 19

भंडार निवासी

BE

(स्टोर ईशू आर्डर)

618735

पृष्ठ संख्या.....

संदिता सं.....

सेवा में,

सहायक गोदाम प्रबन्धक (नाम से.....)

श्री कृष्ण कृषि आरंभ अनु ७५१० लडाभा

स्टॉक रखने वाले 50 Gwalior

की ब्यादेशी सं. 38A तारीख 14/4

नीचे हर सामग्री के सामने जितनी-जितनी मात्रा दिखाई गयी है उतनी श्री... को कृपया दे दें। उन्होंने इन चीजों की कीमत बिल प्रकार से जमा कर दी है।

क्रम सं०	शापट सं०/मात्रा	रत रसीद सं०	दिनांक	बक का नाम	कुल
1	2281782271106 C-131			Behanig...	6346
2	541191506 10.2.47				4872
3.					11316
4.					2267
योग	19				4048

वस्तु	बारों की संख्या	शुद्ध तौल (बोरे का बजन छोड़कर)	दर	कुल
1	2	3	4	5
(1) चावल Anto-Rice	15-6600	(Greenfield/Six Kg 0.6)		
(2) मे. 11-7600	11-7600	(Greenfield/Six Kg 0.6)	26	501
(3) चीनी		Six Kg only 0.18	215	215
(4)				
(5) (Rs. Greenfield/Six Kg 0.6)			2267	2267
(6)				
(7)				
जोड़				

प्रमाणित किया जाता है कि ब्यादेशी (इण्डेण्टर) के सामग्री को पर्य कल्पना उपरोक्त स्थानों पर जमा कर उन्हें देना और विक्रित किया है।

प्रत्यक्षकर्ता का हस्ताक्षर
 तारीख 200

जिला प्रबन्ध

सहायक लेखा पद

Handwritten signature and stamp area.

Anw-4

LC

आपूर्ति शाखा

आदेश

श्री मति मनोरमा देवी ग्राम-पंचायत- तरौनीकला, प्रण्ड - ग्वाल्माड़ा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रतिवेदित कतिबध अनियमितता के आलोक में विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली निदेश आदेश 2001 के तहत इसकी अनुसूचित संख्या 22/2001 तत्कालिन प्रभाव से निलंबित की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दे।

७० -

अनुसूचित पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज।

आपरां... 10.6... आओ दिनांक 26/04/07

प्रतिलिपि- श्रीमति मनोरमा देवी, 60 वि० प्र० विक्रेता, ग्राम-पंचायत - तरौनीकला प्रण्ड - ग्वाल्माड़ा को सूचना एवं आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर उठाव किये गये सामग्रियों से संबंधित पीजी एचओ द्वारा के समर्थ प्रस्तुत करें।

प्रतिलिपि- प्रण्ड आपूर्ति निरीक्षक को सूचना एवं आदेश दिया जाता है कि कोटा बजारी हेतु प्रतिवेदित किरासन तेल के सम्बन्ध में जांच पर जांच प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करें। निलंबित विक्रेता के साथ सम्बन्ध उपभोक्ताओं को जनवितरण प्रणाली विक्रेता के कृपा से बाह्य बाह्य कर धुपना के साथ संबंध दिया जाता है, तदनुसार माहों के अंतर्गत के किरासन तेल एवं अन्य सामग्रियों का उठाव तथा वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रण्ड विकास पदाधिकारी ग्वाल्माड़ा को सूचना एवं आवश्यक कार्यपत्र प्रेषित।

प्रतिलिपि:- थोक किरासन तेल विक्रेता 30 बाण्डे आसन एजेन्सी, उदाकिशुनगंज/ सहायक गोदाम प्रबंधक उदाकिशुनगंज/ जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सहरसा को सूचना एवं आवश्यक कार्यपत्र प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना प्रेषित।

26/4/07

अनुसूचित पदाधिकारी
मधेपुरा।
24/4/07

24

1) श्री 3पीउ राम-पिता-स्वस्विकीयार राम -
ने बताया कि प्रत्येक माह किसान नैल-शरीराली
मनोरमा देवी से मिलता है।

2) श्री शिव नारायण यादव पिता-स्वस्विकीयार यादव - (बालाचर 120) 19/1/19
ने बताया कि किसान नैल प्रत्येक माह-शरीराली
मनोरमा देवी से मिलता है।

3) श्री गोपी ठाकुर वर्तमान # ने बताया कि किसान नैल
मनोरमा देवी से मिलता है। शरीराली मनोरमा देवी के
बारे में। - 10/2/19

4) श्री सुनि बरत पिता-स्वस्विकीयार बरत मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली के अर्थ से सामान्य किसान नैल
मिलता है।

5) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

6) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

7) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

8) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

9) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

10) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

11) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

12) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

13) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

14) श्री रामर 30 माह पिता-श्री सिद्धेश्वर माह मनोरमा देवी
ने बताया कि शरीराली द्वारा सामान्य किसान नैल
मिलता है।

श्री गीता देवी सरांभी कां नै कलामी कि
डीकर द्वारा सामा प्पु किराकर लेक किराकर

गीता देवी
पति गैलाय राम

२५

(२६) श्री विष्णु देव वरुण देव सरांभी कां नै कलामी कि
डीकर द्वारा सामा प्पु किराकर लेक किराकर




रही नि० विष्णु देव
हृषिकेश प्रिय शब्द
वाणजीव हृषिकेश

(२७) श्री अज्ञा देवी सरांभी नै कलामी कि डीकर
सामा प्पु किराकर लेक डीकर है



रही नि०
अज्ञा देवी
पति लडू राम

(२८) श्री पुष्पक देवी सरांभी नै कलामी कि डीकर
सामा प्पु लेक डीकर है




रही नि०
पुष्पक देवी
पति हाकर मुक्ति

(२९) श्री अशुभ देवी सरांभी नै कलामी कि डीकर
प्पु किराकर लेक किराकर है



रही नि०
अशुभ देवी
पति - शोभा देवि

(३०) श्री कदाही देवी सरांभी नै कलामी कि डीकर
सामा प्पु किराकर लेक किराकर है



रही नि०
कदाही देवी
पति - कांभदेव पाराय

(३१) श्री राम विष्णु आ सरांभी नै कलामी कि डीकर
द्वारा किराकर लेक किराकर है

विष्णु देव
पति सिद्धाशिव
राम
वाड नं० १-१० ६७ ६७७ ६७७

(३२) श्री विष्णु देव वरुण देव सरांभी नै कलामी कि डीकर
द्वारा सामा प्पु किराकर लेक किराकर है

विष्णु देव वरुण देव
पति श्री श्री

श्री

20

माह 06/30/06 को तेल का वितरण करना तथा प्रत्यक्ष कार्यालय में जमा किया जाने
भंडार उपलब्ध वितरण पंजीकरण करने का आदेश दिनांक 30/12/06 को तेल उद्योग
कापस किया गया। और आरंभ निरीक्षण अपने अपने देस देस में वाई नं 7- और 8 में
किया गया वितरण करवाये।

(2) मेरे द्वारा तेल को कार्यालय में नहीं बेचा गया। 30/12/06 को तेल उद्योग
कर, वीथी तेल अपने दुकान परिसर में ले जायी। स्वामी लोको के स्वार्थ पुरा नहीं
होने के कारण मुझ पर गलत आरोप लगा दिया गया। क्योंकि एक ही परिवार के
सभी व्यक्ति को तेल देना तथा दूसरे की तरफ उपभोक्ताओं को तेल देना तरे तरे
सुझाव नहीं है। तथा नाम के पुस्तिका में उचित तरी नहीं है। तथा शिकायत कर्ता उपभोक्ता
मेरा नहीं है।

(5) मैं 12 कार्ड आ साठे कार्ड रू प्रति लीटर के दर से किसी भी उपभोक्ता से मुल्य नहीं
लेती हूँ। परे सिखे दंडा व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित मुल्य
पर ही तेल का आरंभ करती हूँ। तेलों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं
रखती हूँ।

(1) मैं सर्वे से ही निबडा सर्वेक निमम सह तरीके से वितरण करती हूँ। मुझे गलत दंडा से निपंठित
कर दिया गया था। माह दिसम्बर में मेरे नाम से स्वामी का आवेदन हुआ जिसका उदाव
अमर कान्त का किसे। और तेल विक्रेता किसे उदा किशुन राज ने तेल का आरंभ
अमर कान्त का को किसे। पर तेल श्री का द्वारा काया मुझे या अनता तथा
अन प्रतिनिधि को पता नहीं है। असाकि इन लोगों के आवेदन में उचित है।
माह अक्टूबर 06 से मेरे नाम पर आवेदन हुआ। मैं क्यावर तेल का वितरण की
अनता द्वारा भी अक्टूबर नवम्बर 06 में मेरे विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। रही बात
दिसम्बर 06 की तो इसका वितरण आरंभ नहीं हुआ। तेल के दर देख में वितरण किया
गया। फिर खकाल ही नहीं उठता है कि मेरे द्वारा तीन माह में एक माह का तेल का
वाजारी में बेच दिया गया है।

मेरे द्वारा अन्तर्गत खाद्य सामग्री का उदाव कर निममित और उचित मुल्य पर अन्तर्गत
उपभोक्ता के बीच वितरण किया गया है। जन प्रतिनिधि वडि सुन्दरों के देख देख
को किना अन्तर्गत खाद्य की काया प्रति आवेदन के साथ रखान है। तथा सर्वे के पानों
अनुमण्डल पदा द्वारा किसे जने वितरण को खरी पाया गया।
मेरे लीडर को सरकारी भाप तेल विभाग द्वारा जॉन्च पडलास कर माप की अनुमति
निर्गत की गयी है। इनके द्वारा प्रमाणित की से ही मैं तेल वितरण करती हूँ।
मेरा भी कोई नही है। मैं लीडर द्वारा दाल कर तेल नहीं नानती हूँ। तथा किसी को कम
पूजन नहीं देती हूँ। किसी भी का मेरे लीडर को जॉन्च किया जा सकता है।
मैं कम और बुरा भा खकाल में भेदभाव नहीं रखती हूँ। सभी को सम्मान देती हूँ।
और निर्धारित मात्रा में ही सभी के बीच वितरण करती हूँ।

द्वारा श्री मान को मेरे विरुद्ध लिखे जाने के बाद मुझे विना सुनवाई करण का अवकाश मुझे ही मुझे
निपंठित कर दिया गया। और मुझे भंडार पंजी और वितरण पंजी कार्यालय में जमा करने
का आदेश दिया गया। मैं तथा आरंभ निरीक्षण उपासका को मेरे बारे में जॉन्च कर जॉन्च प्रति-
वेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। मैंने आदेशा उखार श्री मान के कार्यालय में दिनांक
21-5-07 को भंडार पंजी और वितरण पंजी जमा कर दी। आरंभ
आरंभ निरीक्षण उपासका ने भी अपना जॉन्च प्रतिवेदन श्री मान के कार्यालय में जमा कर
दिये है।

शिकायत कर्ता उपभोक्ता मेरा नहीं है। इसका भी प्रमाणित सभूत आवेदन के साथ संकन
कर रही हूँ। मुझ पर लगाया गया आरोप सर्वेवर गलत है। निबडा और राजनीति से
पेरित है। स्वामी लोको मेरा नाम कोल कर मुझ पर इसका म लगा दिया है। मेरे आवेदन
पर सख्त प्रति सर्वेक बीचार इतने हुए मुझे निपंठन से मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय

आवेदिका
मनोरमा देवी
अहमिठ प्रह विज्ञता
पंजाब न सहोवी
प्रखर उपासका
3-7-07

जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्रीमति मनोरमा देवी, अनुसंधित संख्या 22/01

ग्राम-सरोनी, प्रखण्ड- ग्वालमाहा के संबंध में आम जनता, स्थानीय सरपंच की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधुपुरा द्वारा की गयी जांच एवं समर्पित जांच प्रतिवेदन पत्रांक 117 दिनांक 15.03.2007 के अनुसार विक्रेता के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं -

1. दिसम्बर 2006 का किरासन तेल दिनांक 09.01.2007 तक नहीं बँटना।
2. फरवरी 2007 का किरासन तेल होली के पूर्व पर भी वितरित नहीं करने तथा जांच की तिथि दिनांक 15.03.2007 तक रखने।
3. किरासन तेल का मूल्य सामान्य उपभोक्ताओं से प्रति लीटर 12.00 रु की दर से और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं से 12.50 रु की दर से लेना, तीन माह से एक माह का किरासन तेल की कालाबाजारी करना, किरासन तेल माप से कम देना।
4. अन्त्योदय का बाधान्न ताल में मात्र एक बार उपभोक्ताओं के बीच वितरण करना, अन्त्योदय बाधान्न का मूल्य 6.00 रु प्रति किलो ग्राम और गेहूँ का मूल्य 4.00 रु प्रतिकिलो ग्राम लेना।

उपर्युक्त अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता से कारण पूछा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी थी, तथा कारण पूछा असंतोष प्रद प्रतिवेदित किया गया था।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुपुरा द्वारा प्रतिवेदित अनियमितता एवं इस संबंध में विक्रेता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत कारण पूछा असंतोष प्रद रहने के कारण विक्रेता की अनुसंधित आदेश क्रमांक 104/आ10 दिनांक 24.04.2007 से निलम्बित की गयी है तथा निलम्बित विक्रेता से एक सप्ताह के अन्दर उठाव किये गये सामग्रियों से संबंधित पंजी की मांग की गयी। निलम्बित विक्रेता द्वारा कारण पूछा का जवाब दाखिल नहीं करने के फलस्वरूप पुनः सूचना पत्रांक 184 /आ10 दिनांक 03.07.2007 द्वारा दी गयी। विक्रेता से कारण पूछा का जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः सूचना क्रमांक 211/आ10 दिनांक 17.07.2007 द्वारा दी गयी तथा वर्ष 2005 एवं 2006 में उठाव किये गये किरासन तेल/ बाधान्न का उठाव एवं वितरण पंजी की मांग की गयी।

निलम्बित विक्रेता द्वारा उक्त कारण पूछा का जवाब दिनांक 30.07.2007 को दाखिल किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित साप्ताहिक रूप से उठाव किये गये बाधान्न का भंडार पंजी / वितरण पंजी निम्नलिखित अवधि 50 का ही जमा किया गया -

1. अन्त्योदय गेहूँ एवं बावल का भंडार पंजी वर्ष 2007 का
2. अन्त्योदय गेहूँ एवं बावल का वितरण पंजी वर्ष 2007 का
3. किरासन तेल का भंडार पंजी वर्ष 2006 का माह अक्टूबर 04 से।
4. किरासन तेल का वितरण पंजी दिसम्बर 2006 एवं जनवरी तथा फरवरी 2007 का

विक्रेता से पुनः वर्ष 2005 एवं 2006 में उठाव किये गये बी.पी.एल. / अन्त्योदय बाधान्न का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की मांग क्रमांक 274 / आ10 दिनांक 05.09.2007 से की गयी जिसका जवाब विक्रेता द्वारा दिनांक 25.09.2007 को समर्पित किया गया है।

निलम्बित विक्रेता के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित अनियमितताओं के संबंध में समर्पित साप्ताहिक रूप में कहा गया है कि -

1. दिसम्बर 2006 में उनके नाम बाधान्न और किरासन तेल का आवंटन किया गया परन्तु

इसका उठाव अमरकांत या अध्यक्ष पेश प्रबंधक ने किया, इसलिए वे ही इसका जबाब हैं।
कि वितरण नहीं किया।

2. अक्टूबर 2006 में वार्ड नं० 3, 4, 7 और 8 का आवंटन 1765 लीटर किया गया जिसका वितरण उपभोक्ताओं के बीच किया गया है।
3. नवम्बर 2006 में मेरे किरासन तेल के आवंटन में से 265 लीटर किरासन तेल का आवंटन कम कर दिया गया परन्तु वार्ड नहीं डटाया गया। इसका वितरण वार्ड सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है।
4. दिसम्बर 2006 में पुनः किरासन तेल के आवंटन में कटौती कर मात्र 1000/- लीटर किरासन तेल का आवंटन किया गया। किरासन तेल का उठाव कर परिवार में रखी दवाखाने रख दिये और प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर आर्गेण्डि किरासन तेल के अनुसार सम्बद्ध किये गये वार्ड के लिए दिशा-निर्देश की मांग किये लेकिन वे हाल-मटोल करते रहे, जिसके कारण दिनांक 04.01.2007 को जिला पदाधिकारी को आवेदन दिये। इसी बीच अन्य डीलरों द्वारा किरासन तेल वितरण नहीं किये जाने से जनता ने पैदा किया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने दिनांक 09.1.07 को भंडार पंजी और वितरण पंजी 24 घंटे के अन्दर जमा करने का नोटिस दिया जिसके अनुसार दिनांक 09.01.2001 को पंजी जमा कर दिये। इन सब कारणों से दिसम्बर 2006 का किरासन तेल वितरण करने में देरी हुई। प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2007 को ~~चरने-डीसने-की-जॉब-में-मेरे~~ को जॉब में किरासन तेल सुरक्षा पाया गया है। प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2007 को चारो डीलरों की जॉब में मेरे विरुद्ध किसी ने आरोप नहीं लगाया है। आपूर्ति निरीक्षण को देख रेख में वार्ड नं० 07 का किरासन तेल का वितरण किया गया है।
5. विक्रेता ने किरासन तेल का दाम अधिक लेने, माप से कम तेल देने के आरोप से इनकार किये है।
6. विक्रेता ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि अन्त्योदय बायान्न का वितरण वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधि की देख-रेख में करती है। प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षण में भी मेरे विरुद्ध आरोप की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। शिकायत कर्ता मेरा उपभोक्ता नहीं है, उस पर लगाया गया आरोपसारा गलत छेबुनियद और राजनीति से प्रेरित है। विक्रेता द्वारा निलम्बन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
निलम्बित विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, भंडार पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य कागजातों के आलोक में मैंने दिनांक 30.9.2007 एवं 01.10.2007 को स्थानीय ग्राम पंचायत एवं वार्ड नं० 06 तथा 07 में उपभोक्ताओं से पूछ-ताछ किया और बयान लिये जिसके अनुसार विक्रेता के विरुद्ध प्रतिवेदन आरोप एवं वस्तु स्थिति निम्नान्तित पाया गया है -

1. दिसम्बर 2006 के किरासन तेल वितरण विलम्ब से किये जाने के संबंध में विक्रेता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक है, परन्तु फरवरी 2007 का किरासन तेल जाँच तिथि दिनांक 15.03.2007 तक नहीं वितरण करने के संबंध में विक्रेता द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
2. किरासन तेल का वर्ष 2006 का एक भंडार पंजी प्रस्तुत किया गया है जिसमें अक्टूबर 06 से दिसम्बर 2006 तक उठाव दर्ज है। जनवरी 2007 से किरासन तेल का उठाव पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

क्रिस्ता दारा जनवरी 2007 में विचारित किरासत तेल का एक विवरण पंजी

-और दिनांक 15.02.2007 को किरासत तेल विवरण की दूसरी पंजी तालिका की गयी है। इस विवरण पंजी के पृष्ठ संख्या -06 के ऊपर दिनांक 2.3.07 और फरवरी 07 अंकित है। पृष्ठ 10 पर अंकित तिथि को काट दिया गया है, पृष्ठ 11 पर दिनांक 3.3.2007 अंकित है, पृष्ठ 13 पर दिनांक 3.2.07 तक अंकित है। पृष्ठ 14 सादा है, पृष्ठ 34 पर दिनांक 7.3.07 अंकित है, पृष्ठ 06 से 39 तक में लाभार्थियों का नाम अंकित है जिसमें पृष्ठ संख्या 02 से 05 और 33 से 38 ऊपर लिखे गये गये है। लाभार्थी का क्रमांक अंकित नहीं है।

3. निलम्बित क्रिस्ता किरासत तेल क्रिस्ता पंजी पर वर्ज लाभार्थियों शिव नारायण मेहता ने बताया कि क्रिस्ता दो-तीन माह में किरासत तेल देती है, लाभार्थी पिंटू मेहता ने बताया कि 2 लीटर किरासत तेल 12.50 रु० की दर से दिया गया था, लाभार्थी प्रमोद मेहता ने बताया कि दो लीटर किरासत तेल जनवरी 2007 में दिये थे जिसका दाम 12.50 रु० की दर से लिये थे, लाभार्थी पृथ्वी घोरसिया ने बताया कि दो लीटर किरासत तेल 12.50 रु० की दर से दिये थे, लाभार्थी श्रीम मंडल ने बताया कि चार लीटर किरासत तेल 12.50 रु० की दर से दिये थे, लाभार्थी त्रियाराम मंडल ने बताया कि चार लीटर किरासत तेल 12.00 रु० की दर से दिये थे, लाभार्थी राधे पातवान ने बताया कि चार लीटर किरासत तेल 12.50 रु० की दर से दिये थे।

अन्तयोदय लाभार्थी कुस्विया देवी पति जामुन शशिदेव व मंजो देवी पति तेजो शशिदेव, मतो० स्तुन्ती देवी पति अकल शशिदेव, स्वतन शशिदेव, मतो० फुलेश्वरी देवी पति पति केहरु शशिदेव, मतो० नगिया देवी पति कारी शशिदेव एवं अनारी देवी पति वात-देव शशिदेव सभी वार्ड नं० 06 ग्राम पंचायत सरौनी ने बताया कि हमलोगों को क्रिस्ता दारा 10 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल 100 रु० में दिया गया था।

क्रिस्ता से सम्बद्ध वार्ड नं. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 के पति रामबिलास मंडल, सूर्युग मंडल, उपेन्द्र साह खीरह ने बयान दिया कि क्रिस्ता हरेक माह किरासत तेल नहीं देती है। इसी वार्ड के धील मंडल, गंगा मंडल, किरियानन्द मंडल, अशोक साह खीरह ने बयान देकर कहा की क्रिस्ता हरेक माह किरासत तेल देती है। क्रिस्ता से कोई शिकायत नहीं है।


स्थानीय जंच में लाभार्थियों ने बताया कि क्रिस्ता दारा उठाव किये सामग्री का विवरण कैलाश मेहरा नाम का आदमी करता है, लाभार्थी विवरण करने का भी कोई निर्धारित स्थान नहीं है।

लाभार्थियों से प्राप्त ब्यपन से स्पष्ट होता है कि क्रिस्ता दारा किरासत तेल निर्धारित दर से अधिक शुभ मुत्स्य पर क्रिस्ता दिकी किया जाता है, क्रिस्ता दारा माह जनवरी, 2007 से निलम्बन की तिथि 26.02.2007 के बीच उठाव किये गये किरासत तेल का भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस अवधि में उठाव किये किरासत तेल की विवरण पंजी पर बाद में तैयार की गयी है क्योंकि इसमें कई पृष्ठ उपर से जोड़ा गया है। अधिकतर लाभार्थियों से बयान से यह स्पष्ट होता है कि क्रिस्ता दारा विवरण पंजी पर चार-चार लीटर किरासत तेल की आपूर्ति अंकित है फस्तु वास्तविक आपूर्ति 2/3 लीटर ही की गयी है। साथ ही हरेक माह किरासत तेल का विवरण नहीं किया जाता है। अन्तयोदय लाभार्थियों को फरवरी, 07 में गेहूँ और चावल का विवरण

किया गया है जो सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल की जगह गेहूं मात्र 10 किलो और चावल 21 किलो दिया गया है, तथा बाधान्य का मूल्य निर्धारित दर से अधिक लिया गया है ।

निलम्बित विक्रेता द्वारा की गयी उच्च अनियमितताएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001 के प्रावधानों, शर्तों और कर्तव्यों का उल्लंघन है अतएव निलम्बित विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है ।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय ।


अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज ।

शासक...31.5..... x उदाकिशुनगंज, दिनांक 01 अक्टूबर, 2007


प्रतिलिपि : प्रबंध आपूर्ति पदाधिकारी, श्रीमति मनोरमा देवी, ज. वि. प्र. वि.

प्रबंध आपूर्ति निरीक्षक x, ग्वालघाड़ा / चौक किरासनेल विक्रेता, उदाकिशुनगंज / सहायक गोदाम प्रबंधक, मिहारीगंज को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को उनके पत्रांक 22/आ.

दि- 12.1.2007 एवं 117/दि. 15.3.07 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : जिला क्षय पदाधिकारी, मधेपुरा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।


01-10-2007
अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज ।

A-8

न्यायालय जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, मधेपुरा।

31

जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद सं(-51/07 मनोरमा देवी बनाम राज्य एवं अनुमंडल पदाधिकारी

26-11-2011

आदेश

सभी तथ्यों की जाँच पड़ताल कर मैं यह पाता हूँ कि आवेदक द्वारा वितरण में गोर अनियमितता की गई है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश विल्कुल सही और न्यायसंगत है। अतः आवेदक के आवेदन को खिरस्त किया जाता है।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता,

ओ0बी0नं0.....696.....विधि, मधेपुरा, दिनांक 26/11/11.....

प्रतिलिपि : निदेशानुसार श्रीमती मनोरमा देवी पति श्री संजय कुमार, सा0 सरौनी, प्रखंड-गवालपाड़ा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को निम्न न्यायालय का मूल ऑनिलेख वापस करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।



प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।

26/11

Am-9

अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञान
आय प्रतिवेदन

काय लिय अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज

पत्रांक...133.../ATO

32

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
उदाकिशुनगंज ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा ।

उदाकिशुनगंज दिनांक 28 अप्रैल 2008.

विषय-

स्थलीय जॉच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

प्रांति-
महाशय,

आपका पत्रांक डी.वी. नंबर 101 दिनांक 14.03.2008.

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के निदेशानुसार समाह्वत एवं जिला दंडाधि-
कारी मधेपुरा के न्यायालय से संबंधित विविध वाद संख्या 51/2007 श्रीमती मनोरमा
देवी बनाम राज्य एवं एत.डी.ओ. उदाकिशुनगंज से संबंधित स्थलीय जॉच प्रतिवेदन की
छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अनुलग्नक- यथोक्त जॉच प्रतिवेदन ।

विश्रुतासभाजन

SMT

26-4-08

अनुमंडल पदाधिकारी,

उदाकिशुनगंज ।
26/4/08